विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जगदलपुर

(पीठासीन अधिकारी – अध्यक्ष– पीयूष राम साहू
सदस्य– चित्रा खत्री)

प्रकरण क्रमांकः– 25/2026
संस्थित दिनांकः– 17.09.2026

श्रीमती सरोज मण्डावी, परिवादी/आवेदक
पतिः– श्री मदन मण्डावी,
पोस्ट ऑफीस रोड तहसीलपारा कोण्डागांव,
जिलाः– कोण्डागांव (छ0ग0) (494–226)
मो0नं0 9424285397 बी0पी0क्र0 1004250728

विरूद्ध

कार्यपालन अभियंता (संचा0/संधा0) संभाग, उत्तरवादी/अनावेदक
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड,
कोण्डागांव (छ.ग.)

आदेश

(आज दिनांक 06–11–2026 को पारित)

1. परिवादी द्वारा माह अप्रैल 2025 से विद्युत देयक प्राप्त न होने मीटर रीडिंग की जांच कर सभी लंबित बिल वास्तविक रीडिंग पर जारी करने और बिल न मिलने के कारण उपभोक्ता पर कोई अतिरिक्त दायित्व न लगाया जाने हेतु शिकायत प्रस्तुत किया गया है।

2. मामले में उभय पक्षों के मध्य निम्नालिखित तथ्यों पर विवाद नहीं हैः– 1. परिवादी को पोस्ट ऑफिस रोड तहसीलपारा, कोण्डांगाव में निम्न दाब विद्युत कनेक्शन बी0पी0क्र0 1004250728 प्रदान किया गया है।

3. स्वीकृत तथ्यों के अलावा परिवाद/शिकायत संक्षेप में इस प्रकार है किः– नियमित विद्युत देयक प्राप्त न होना।

4. प्रस्तुत शिकायत का कार्यावाही विवरण उत्तरवादी/अनावेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकृत तथ्यों के अलावा संक्षेप में इस प्रकार है :– उत्तरवादी द्वारा स्मार्ट मीटर स्थापना के दरम्यान मीटर स्थापित बी0पी0क्र0 1004251387 के स्थान पर बी0पी0क्र0 1004250728 पर वास्तविक रूप से स्मार्ट मीटर स्थापित नहीं परन्तु मीटर स्थपित दर्शाए जाने के कारण बी0पी0क्र0 1004250728 का माह अप्रैल 2025 से विद्युत देयक जारी नहीं हो रहा था। जिसे उत्तरवादी द्वारा माह मई 2025 से माह अगस्त 2026 तक कुल खपत को स्लैब कर परिवादी को राशि रू0 25,660/– का देयक जारी कर दिया गया है।

5. मामले के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किये जाते हैं :–
(i) क्या परिवादी को अप्रैल 2025 से लंबित विद्युत देयक वास्तविक रीडिंग पर स्लैब कर जारी किया जाना चाहिए।

(ii) क्या विभागीय त्रुटि से हुए विलंब के लिए परिवादी पर देयकों में अधिभार से छुट प्राप्त किया जाना चाहिए।

(iii) परिवादी को देयकों का विस्तृत विवरण प्रदान किया जाना चाहिये।

विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न (i) की विवेचना एवं निष्कर्ष :– परिवादी अप्रैल 2025 से लंबित देयक वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर स्लैब कर प्राप्त करने का हकदार है ।

विचारणीय प्रश्न (ii) की विवेचना एवं निष्कर्ष :– विभागीय त्रुटि से हुए विलंब के लिए परिवादी पर किसी प्रकार का विलंब अधिभार/अतिरिक्त भार अधिरोपित नहीं किया जाना चाहिए।

विचारणीय प्रश्न (iii) की विवेचना एवं निष्कर्ष :– परिवादी को बिलिंग विवरण दिया जाना चाहिये।

6. उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष उपरांत मैं यह पाता हूँ कि :–

(i) परिवादी को अप्रैल 2025 से अगस्त 2026 तक के खपत का माह वार स्लैब किया जावे।

(ii) विभागीय त्रुटि से विलंब होने के कारण परिवादी पर किसी प्रकार का विलंब अधिभार, ब्याज अधिरोपित नहीं किया जावे।

(iii) परिवादी/आवेदिका को माह मई 2025 से माह अगस्त 2026 तक के बिलिंग विवरण प्रदान करें।

उपरोक्त बिन्दु क्र0 i, ii, iii का विवरण एवं पावती सहित पालन प्रतिवेदन 30 दिवस के समय सीमा में फोरम कार्यालय को उपलब्ध करावें।

7. यदि परिवादी/आवेदिका इस आदेश से संतुष्ट न हो तो वह इस आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी शांति नगर रायपुर (छ0ग0) में अपील कर सकता है।

आदेश मेरे द्वारा बोलकर
टंकित कराया गया

(पीयूष राम साहू)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता परिवेदना
(शिकायत) निवारण फोरम,
जगदलपुर

आदेश पारित किया गया

(चित्रा खत्री)
सदस्य
विद्युत उपभोक्ता परिवेदना
(शिकायत) निवारण फोरम,
जगदलपुर

(पीयूष राम साहू)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता परिवेदना
(शिकायत) निवारण फोरम,
जगदलपुर